झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

श्री संजय कुमार मिश्र
सदस्य
जे. एस. सी. पी. सी. आर.

श्री सुनील कुमार
सदस्य
जे. एस. सी. पी. सी. आर.

श्रीमती रूपलक्ष्मी मुण्डा
अध्यक्ष
जे. एस. सी. पी. सी. आर.

डॉ. सुनीता कात्यायन
सदस्य
जे. एस. सी. पी. सी. आर.

श्रीमती रंजना चौधरी
सदस्य
जे. एस. सी. पी. सी. आर.

झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शक्तियाँ-

किसी भी मामले और खास कर निम्नलिखित मामलों की जाँच के सिलसिले में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी मामले की जाँच कर रहे दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी-

1. किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए समन भेजना और उसकी शपथपूर्वक जाँच कराना,
2. किसी भी दस्तावेज की खोज कर प्रस्तुत कराना,
3. हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना,
4. किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख प्राप्त करना
5. बाल अधिकारों के उपेक्षा और उल्लंघन के मामलों की शिकायतों का स्वतः संज्ञान लेना और उनकी जाँच करना।

झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग निम्न शिकायतों का निपटान कर सकती है-

1. बाल अधिकारों का उल्लंघन
2. बच्चों के जीने, संरक्षण विकास और भागीदारी से जुड़े कानूनों के क्रियान्वयन की उपेक्षा,
3. इन बच्चों के कष्टों में कमी लाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने से जुड़े नीति निर्णयों, दिशा निर्देशों के अनुपालन की उपेक्षा,
4. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकार,
5. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 के तहत यह निगरानी प्राधिकार भी है।

झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुख्य कार्य-

1. बाल अधिकारों के संरक्षण एवं उनके प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन की अनुशंसा हेतु संप्रति लागू किसी कानून के द्वारा प्रदत्त अथवा उसके तहत संरक्षण अपायों की जांच एवं समीक्षा करना।
2. सरकार को वर्षवार अथवा आयोग की दृष्टि से उपयुक्त अंतरालों पर संरक्षण उपायों की कार्यप्रणाली के प्रतिवेदन प्रेषित करना,
3. बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच तथा ऐसे मामलों में कार्यवाहियां शुरू करने का सुझाव देना।
4. आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा दंगों प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, मानव तस्करी, बाल-श्रम, दुराचार, प्रताड़ना और शोषण, अश्लील दुष्कर्मों तथा वेश्यावृति के शिकार बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले सभी तत्वों की जांच और सुधार के समुचित उपायों की अनुशंसा करना,
5. संकटग्रस्त, उपेक्षित और सुविधा वंचित बच्चों आरोपित बच्चों, किशोरों, बेघर बच्चों और कैदियों के बच्चों समेत विशेष देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से जुड़े मामलों की पड़ताल करना तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना,
6. संधि पत्रों और अन्य राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन तथा बाल अधिकारों से जुड़ी मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य कार्यों की समय-समय पर समीक्षा और बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावशाली कार्यान्वयन की अनुशंसा करना,
7. बाल अधिकारों पर शोध कार्य शुरू करना और उसे बढ़ाबा देना
8. समाज के विभिन्न तबकों में बाल अधिकार का प्रचार-प्रसार करना और इन अधिकारों के संरक्षण के उपलब्ध उपायों के प्रति पत्र-पत्रिकाओं, संचार माध्यमों, परिसंवादों तथा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से जागरूकता का संचार करना,
9. उन किशोर सुधार गृहों, या किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित किसी संस्थान समेत सरकार अथवा किसी संस्थान समेत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या फिर किसी भी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन बच्चों के लिए बने किसी भी आवास स्थल अथवा संस्थान का निरीक्षण करना, जहां बच्चों का उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के लिए रोका या ठहराया जाए, और यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक कार्यवाही के लिए इन प्राधिकरियों से संपर्क करना।
10. निम्नलिखित विषयों से जुड़े मामलों की शिकायतों का स्वतः संज्ञान लेना और उनकी जांच कराना-
    - ✶ बाल अधिकारों की उपेक्षा और उल्लंघन
    - ✶ बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए बने कानूनों के क्रियान्वयन की उपेक्षा,
    - ✶ बच्चों के कष्टों में कमी लाने के लिए और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उन्हें राहत दिलाने या इन मामलों से उत्पन्न समस्याओं को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित करने से जुड़े नीति निर्णयों, दिशा निर्देशों या निर्देशों को पालन में कोताही बरतना, और
11. बाल अधिकार सम्मेलन के पालन का मूल्यांकन करने हेतु प्रभावी कानून, नीति और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना, बच्चों को प्रभावित करने वाली नीति या कार्यप्रणाली के किसी पहलू की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और बाल अधिकारों की दृष्टि से प्रस्तावित नए विधान पर अपने विचार प्रकट करना,
12. स्वयं बच्चों अथवा उनकी ओर से संबद्ध व्यक्ति के समस्या व्यक्त करने पर औपचारिक जांच करना
13. सुनिश्चित करना की बच्चों के अपनी प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण पर विचार करने को लेकर उनके विचारों की सूचना सीधे आयोग को दी जाए,
14. अपनी कार्यप्रणाली और बच्चों से जुड़े सभी सरकारी विभागों तथा संस्थाओं में बच्चों के सम्मान और उनके मतों पर गंभीरता से सोच विचार को बढ़ावा देना,
15. बच्चों से जुड़े ओकड़ों का संग्रह व विश्लेषण करना,
16. स्कूल के पाठ्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों की निजी तौर पर देखभाल करने वालों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों को शामिल कर बढ़ावा देना।

झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

जिला समाहारणालय, प्रथम तल्ला, 'ए' ब्लॉक, कमरा नम्बर - 103/104, कचहरी रोड, राँची-834001 (झारखण्ड)

फोन नम्बर-0651-2223544/45/46, ईमेल- **cp.jscpcr@gmail.com, jscpcr@gmail.com**